

पंचायत रिविजन संख्या:- 41/2017
दायर दिनांक :- 01.08.2017
निर्णय दिनांक :- 15.12.2017

अनवान

विकास अधिकारी पंचायत समिति देवगढ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण/निगराकार

बनाम

1. श्री भंवरलाल पिता श्री लालु कलाल निवासी कालागुन निवासी
देवगढ जिला राजसमन्द
2. ग्राम पंचायत ताल जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत ताल तहसील
देवगढ जिला राजसमन्द

विपक्षीगण/गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 05.09.2014 पत्रावली संख्या 25 ग्राम पंचायत
ताल जिसके द्वारा पट्टा संख्या 58 दिनांक 12.10.2014 जारी किया गया
निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

उपरिथत :-

- 1-श्री दिग्विजयसिंह ,अधिवक्ता प्रार्थीगण/निगराकार
- 2-श्री अब्दूल हकीम चूडीगर अधिवक्ता ,विपक्षीगण/गैर निगराकार

-:: निर्णय ::

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में निवेदन किया है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ताल द्वारा जो पट्टा विपक्षी संख्या 1 को जारी किया गया है वह अवैध ,विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 58 दिनांक 10.12.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित किया गया एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । निगराकार द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर निगरानी को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण/निगराकार के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ताल के सरपंच व सचिव से आपसी मिली भगत कर अवैध रूपेण विपक्षी द्वारा पट्टा प्राप्त किया गया है । विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 16.06.2014 को ग्राम पंचायत ताल में नियम 157 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत कर 10 वर्ष पुराने मकान का पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया । राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत केवल उन्ही मकानों का पट्टा जारी किया जा सकता



है, जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 लागू होने के पूर्व आबादी भूमि में निर्मित किये जा चुके हैं। इसलिये उक्त नियम लागू होने के पश्चात निर्मित मकान का पट्टा नियम 157 के तहत जारी नहीं किया जा सकता है। और विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 16.06.2014 को प्रस्तुत आवेदन में 10 वर्ष पुराने मकान का पट्टा जारी करने का निवेदन किया है अर्थात् विपक्षी संख्या 01 ने अपना मकान राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 लागू होने के पश्चात निर्मित होना बताया है। फिर भी विपक्षी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत ताल से पट्टा प्राप्त कर लिया। जबकि विपक्षी संख्या 1 नियम 157 के तहत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 लागू होने के पश्चात निर्मित मकान व खाली भू-खण्ड का पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था। ग्राम पंचायत ताल द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विपक्षी संख्या 1 को अवैध लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त पट्टा जारी कर दिया गया है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक 135 दिनांक 11.02.2013 के अनुसार नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में बने पुराने गृहों का 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक ही पट्टा जारी किया जा सकता है। इससे अधिक क्षेत्र का पट्टा जारी करने हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृती मिने पर अलग से राशि वसूल कर पट्टा जारी करने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत ताल द्वारा उक्त प्रकरण में 6729 वर्गफीट का पट्टा जारी कर दिया है। जो नियम विरुद्ध होकर काबिल निरस्त है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 58 दिनांक 12.10.2014 को निरस्त करते हुये : प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जावे एवं जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण/गैर निगराकार ने अपनी लिखित जबाब व बहस में अवगत कराया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विधिवत रूप से पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत अपने पुराने स्वामित्व एवं आधिपत्य के मकान हेतु जारी किया गया है। मकान का स्वामित्व पिछले 50 वर्षों से विपक्षी संख्या 1 में निहित था जिसका केवल मात्र विपक्षी संख्या दो ने प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मकान पैतृक होकर 10 वर्ष पूर्व विपक्षी संख्या 1 के पिता के पास था जो बाद में विरासत से विपक्षी संख्या 1 को मिला है। मकान व भूमि विपक्षी संख्या एक को विरासत से उसके पिता से मिली है विपक्षी के पिता ने उसके जीवन पर्यन्त इसी मकान में निवास किया था। पट्टा देने से पूर्व पंचायत ने नियम 146 के तहत कमेटी का गठन कर मकान की जांच करवाने एवं कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही विनियमितकरण की कार्यवाही की है जो विधिवत है। विपक्षी संख्या दो ने विधिवत कार्यवाही करते हुये विपक्षी संख्या एक को पट्टा जारी किया गया है। इतना होने के बाद भी विपक्षी संख्या एक कोई नियमानुसार राशि देय होती है तो उसे विपक्षी संख्या एक जमा कराने हेतु तैयार व तत्पर है। अतः निगराकार की निगरानी अस्वीकार फरमाई जावे।


उभय पक्ष की व गैर निगराकार की बहस पर गहन मनन किया जाकर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में मकान कितने वर्ष पुराना है अंकन खाली छोड़ा हुआ है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी मकान 10 वर्ष पुराना होना अंकित किया गया है। जबकि पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 पुराने गृहों का विनियमितकरण में स्पष्ट प्रावधान है कि मकान 50 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिये एवं मकान 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल का नहीं होना चाहिये। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह

३८


स्पष्ट हैं कि विपक्षी संख्या एक का मकान 10 वर्ष पुराना एवं मकान का क्षेत्रफल 6729 वर्गफीट का है। अतः पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 की पालना नहीं करने से ग्राम पंचायत ताल द्वारा जारी पट्टा संख्या 58 दिनांक 12.10.2014 निरस्त किया जाता है। निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ताल द्वारा जारी किया गया पट्टा 58 दिनांक 12.10.2014 निरस्त किया जाता है।


(बृजमोहन बैरवा)
अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 15-12-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बृजमोहन बैरवा)
अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द